



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS



सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422


Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

प्रेस विज्ञप्ति

पिछले 12 घंटों में कोचीन वायु आसूचना यूनिट ने बड़ी चालाकी से छिपायी हुई 700 ग्राम से अधिक की सोने की बिस्किट जब्त की है। तस्कर, कालीकट का निवासी है एवं रियाद से आया था, ने दो 10 तोला बार एवं 17 कट पीस छिपाये हुए था। 10 तोला बार एक बड़े स्टेपलर के साईड बार कैविटी में छिपाया हुआ पाया गया एवं 17 कट पीस एक छोटे शो पीस मूर्ति में छिपाया हुआ था (चित्र संलग्न है)। फिर भी कोचीन सीमाशुल्क एआईयू के अधिकारियों ने तस्करी को पकड़ लिया एवं सोना को जब्त किया और तस्कर को गिरफ्तार किया। आगे की जाँच जारी है।

सीमाशुल्क आयुक्त ने आम जनता, सियाल के कर्मचारियों, एयरलाइंस के क्रू, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज के क्रू एवं एयरपोर्ट पर काम करने वाले अन्य एजेंसीयों के कर्मचारियों से सूचना देने का आग्रह किया है जिससे कि जब्ती हो सके। यह सूचना सीधे तौर पर सहायक आयुक्त (एआईयू प्रभारी), संयुक्त सीमाशुल्क आयुक्त एवं सीमाशुल्क आयुक्त को भी दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति/मुखबिर की पहचान किसी भी परिस्थिति में नहीं बताई जायेगी एवं सूचना का स्रोत हमेशा गोपनीय रखा जायेगा। कोई सूचना जिससे की वर्जित वस्तुओं जैसे सोना, मुद्रा, सिगरेट, नशीली वस्तुएं या अन्य प्रतिबंधित/ गलत घोषित की गई वस्तुओं की जब्ती होती है, को पुरस्कृत किया जायेगा। यह कार्यालय अगले कुछ महीनों में विभिन्न भागीदार संस्थाओं के बीच विशेष रूप से जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा जिससे कि तस्करी, मनी लाउंडरिंग एवं अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कमी लायी जा सके।


10/11/18
(सुमित कुमार)

आयुक्त